संख्या-182/2024/903/41-2-2024-CN- 1807984

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0

लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 14 जून, 2024

विषय:-''उ0प्र0 श्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद'' को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बजट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक पर्यटन कार्यालय के पत्र संख्या-822/6-1-1/चि0धा0ती0वि0प0(बजट)/2023-24, दिनांक 24 मई, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से ''उ0प्र0 श्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद'' को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या 44 के "लेखाशीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-18-उ0प्र0 श्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि में से प्रथम किश्त की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 18-उ0प्र0 श्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि में से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित लेखाशीर्ष/मानक मद में उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र 0 सं 0	मद	वित्तीय वर्ष 2024 - 25 में प्रावधानित धनराशि	निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
	"लेखाशीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-18-उ0प्र0 श्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट		
1	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	150.00	50.00
2	31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	232.20	50.00

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) पूर्व में निवर्तन पर रखी गयी धनराशि एवं वर्तमान में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का सक्षम स्तर से अनुमोदित उपयोगिता प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) शासन द्वारा अनुमोदित कन्सल्टेंट / परामर्शी की सेवाओं के लिए ही सक्षम स्तर से भुगतान हेतु अनुमोदन प्राप्त करके भुगतान किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय **(1)** रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 3452808001800 उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट मानक मद **20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) (2)** रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 3452808001800 उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट मानक मद **31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)** के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024**,** दिनांक-04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव::</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय**,** उ0 प्र0**,** प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय**,** उ0 प्र0**,** प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक**,** पर्यटन निदेशालय**,** उ0 प्र0**,** लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी**,** जवाहर भवन**,** उ0 प्र0**,** लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7**,** उ0 प्र0 शासन**,** लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2**,** उ0 प्र0 शासन**,** लखनऊ।
7. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।